


होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मुख्यालय, मध्यप्रदेश
आदेश

क्रमांक / 750 / एम0टी0 / 2017

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2017


- 1- मुख्यालय के वाहनों के आवटन संबंधी पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, जहाँ-जहाँ पर जिला सेनानी, होमगार्ड, एस0डी0ई0आर0एफ0 का प्रभार देख रहे हैं, वहाँ एस0डी0ई0आर0एफ0 जिला सेनानी वाहन का उपयोग करेंगे। तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 2- सभी जिलों में पदस्थ जिला सेनानी उनके अधिनस्थ एमटीओ से जिले में तैनात/आवंटित समस्त वाहनों की लॉगबुक/फ्यूल की स्थिति चैक करेंगे, गाड़ियों के एव्हरेज तथा वाहन की निर्धारित एव्हरेज कितनी है, चैक करेंगे तथा जिनकी एव्हरेज निर्धारित से कम है, उसकी रिपोर्ट उचित माध्यम से टीप के साथ मुझे प्रस्तुत करेंगे।
- 3- उक्त आदेश होमगार्ड, सिविल डिफेन्स एवं एस0डी0ई0आर0एफ0 सभी पर समान रूप से लागू होगा।


(महान भारत सागर)
डायरेक्टर जनरल, 19.12

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा,
एवं आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2017

पृ0क्रमांक / 751 / एम0टी0 / 2017
प्रतिलिपि :-

- 1- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबन्धन भोपाल।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 3- उप पुलिस महानिरीक्षक, आपदा प्रबन्धन भोपाल।
- 4- समस्त डिवीजनल कमाण्डेण्ट, आपदा प्रबन्धन/होमगार्ड मध्यप्रदेश।
- 5- समस्त डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेण्ट आपदा प्रबन्धन/होमगार्ड, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


डायरेक्टर जनरल, 19.12
होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा,
एवं आपदा प्रबन्धन, मध्यप्रदेश